उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–2599 /9–1–2020–18ए.क्यू./17
लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना
संशोधन/शुद्धिपत्र

जिला कानपुर देहात में नगर पंचायत मूसानगर के गठन के संबंध में अंतिम अधिसूचना संख्या–2025/9–1–2019–18एक्यू/17 दिनांक 23 दिसम्बर 2019 निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत मूसानगर बनाये जाने हेतु प्रेषित उनके कार्यालय के प्रस्ताव दिनांक 22 फरवरी 2018 में ग्राम गौसगंज, फत्तेपुर, रसूलपुर एवं मूसानगर बांगर की गाटाओं को सम्मिलित करते हुये प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, किन्हीं कारणों से शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना में ग्राम गौसगंज का उल्लेख किया जाना छूट गया है, जबकि गौसगंज की आबादी एवं क्षेत्रफल प्रस्ताव में सम्मिलित था। ग्राम गौसगंज के समस्त क्षेत्र को अधिसूचना में सम्मिलित ग्राम फत्तेपुर, मूसानगर बांगर एवं रसूलपुर चारों ओर से घेरे हुये है। अतएव जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा शासन की निर्गत अधिसूचना सं0–2025/9–1–2019–18एक्यू/17 दिनांक 23 दिसम्बर 2019 में ग्राम गौसगंज को सम्मिलित कर संशोधित अधिसूचना निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. उपरोक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश संख्या–2979/9–1–2016–426 सा/14, दिनांक 06.10.2016 में निर्धारित मानक के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या–10 के अनुसार नगर पंचायत मूसानगर, जिला कानपुर देहात के गठन संबंधी अधिसूचना संख्या–2025/9–1–2019–18एक्यू/17 दिनांक 23 दिसम्बर 2019 में नगर पंचायत के सीमावर्ती गाटा संख्याओं का उल्लेख किया गया है। ग्राम गौसगंज, नगर पंचायत मूसानगर के मध्य में स्थित होने के कारण उक्त ग्राम की गाटाओं का उल्लेख अधिसूचना में नहीं किया गया है।

इस प्रकार नगर पंचायत मूसानगर के मानचित्र में प्रदर्शित अतः नगर पंचायत मूसानगर के मानचित्र में प्रदर्शित ग्राम गौसगंज, फत्तेपुर, रसूलपुर एवं मूसानगर बांगर नगर पंचायत मूसानगर, जिला कानपुर देहात का भाग माना जायेगा।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।

(2) जिलाधिकारी, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।

(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।

(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)

उप सचिव।